यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर के माह 02/2014 से 08/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री ललित थपलियाल व श्री सूर्य पाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 04.09.2017 से 07.09.2017 तक श्री पी.सी.श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री टी.एस.नेगी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री विजय कुमार, पर्यवेक्षक एवं श्री विजय कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 13.02.2014 से 19.02.2014 तक श्री पुष्कर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10/2006 से 01/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः जिला, बागेश्वर

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	-	-	175.08	172.09	45.05	42.91	-	-
2015-16	-	-	209.25	194.92	63.51	60.73	-	-
2016-17	-	-	254.04	202.03	77.84	76.1	-	-
2017-18 (08/17 तक)	-	-	221.4	106.07	50.16	4.65		

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरणः शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी 'सी' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

मुख्य सचिव/अध्यक्ष राजस्व परिषद्
प्रमुख सचिव (राजस्व)
सचिव राजस्व/राजस्व आयुक्त
आयुक्त कुमाऊं मण्डल
अपर सचिव (राजस्व)
जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में वित्तीय लेन-देन एवं प्राप्तियों की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिलाधिकारी, बागेश्वर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2014, 03/2015 एवं 08/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 व 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

शून्य

भाग-II 'ब'

<u>प्रस्तरः1(अ)</u>- दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत रू 104.37 लाख के कार्यों का से छः माह की अवधि व्यतीत के बावजूद अधूरा रहना।

भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार दैवी-आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यों को सम्पादित किये जाने हेतु पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 45 से 60 दिन की समय सीमा निर्धारित की गयी है। निर्धारित अवधि में ही मरम्मत कार्य पूर्ण किये जायेंगे, जिसकी जिम्मेदारी निर्माण इकाई की होगी।

दैवीय आपदा से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गयी कि अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान बागेश्वर को विभिन्न परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में रू 104.37 लाख की धनराशि 26/10/2016 से 28/3//2016 के मध्य संलग्न तालिका-1 के अनुसार अवमुक्त की जा चुकी थी। किन्तु उपरोक्त सभी कार्य लेखा परीक्षण तिथि तक अर्थात छः से दस माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी पूरे नहीं थे। यह कार्यदायी संस्था द्वारा दैवीय आपदा के दिशा निर्देशों की अनदेखा एवं प्रभावितों की आपदा के कारण मुश्किलों को नजरअंदाज किया जाता है।

इकाई का ध्यान इस ओर आकृष्ट किये जाने पर उत्तर दिया गयी कि कार्यदायी संस्था को आपत्ति अग्रेषित कर उत्तर प्राप्त होने पर सूचित किया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं है। क्योंकि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार विलम्ब हेतु कार्यदायी संस्था पूर्ण रूपेण जिम्मेदार है, एवं जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा इस संबंध कार्यदायी संस्था को विलम्ब हेतु कोई चेतावनी नही दी गयी।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II 'ब'

<u>प्रस्तरः1(ब)</u>- दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत होने के दस माह बाद भी कार्यों का अधूरा रहना रू 25.37 लाख।

दैवीय आपदा से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गयी कि अधिक अभि0प्रा0ख0लो0नि0वि बागेश्वर को विभिन्न परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में रू 25.37 की धनराशि दिनांक 24.10.2016 को अवमुक्त कर दी गयी थी (संलग्न तालिका के अनुसार) किन्तु लेखा परीक्षा तिथि तक सभी कार्य अधूरे थे, अर्थात लगभग 10 माह व्यतीत होने के उपरान्त भी कार्य पूर्ण नही हुए था। यह प्रा0ख0लो0नि0वि0 बागेश्वर द्वारा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं जिलाधिकारी, बागेश्वर के निर्दशों की अनदेखी था, एवं प्रभावितों की कठिनाइयों को नजरअंदाज किया गया।

इकाई का ध्यान इस ओर आकृष्ट किये जाने पर उत्तर दिया गया कि आपत्ति संबंधित इकाई को अग्रेषित कर उत्तर प्राप्त होने पर सूचित किया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि मरम्मत कार्य निर्धारित समय में पूर्ण न होने पर पूरी जिम्मेदारी निर्माण इकाई की है, एवं जिलाधिकारी द्वारा भी इस संबंध में इकाई को कोई चेतावनी नहीं दी गयी।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	प्रस्तर का विवरण
नि.सि./ले.प.प्रति.-192/2004-05	01		<u>भाग-II 'अ' प्रस्तर-01</u> ₹35 लाख धनराशि का विलुप्त होना।
नि.सि/ले.प.प्रति.-120/2006-07	-	01	<u>भाग-II 'ब' प्रस्तर-</u>1. धनराशि का व्ययावर्तन (Diversion) ₹ 1.65 लाख।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
नि.सि/ले.प.प्रति.-120/2006-07	भाग-2 'अ' प्रस्तर-01	अनुपालन आख्या कार्यालयाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त अवलोकनार्थ प्रस्तुत।	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी अनुपालन आख्या में अंकित है।	
नि.सि./ले.प.प्रति.-192/2004-05	भाग-2 'ब' प्रस्तर-01			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-**V**

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, बागेश्वर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य
2. सतत् अनियमितताएः शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री भूपाल सिंह मनराल	जिलाधिकारी	23.05.2013	17.10.2016
2.	श्री मंगेश घिल्डियाल	जिलाधिकारी	20.10.2016	17.05.2017
3.	श्रीमती रंजना	जिलाधिकारी	17.05.2017	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र